मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2009 (फाल्गुन 26, 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 52 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 68 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य की प्रदेश में मकानों पर से उच्च एवं निम्न दाब की विद्युत लाईने जाने,

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की लहार जिला भिण्ड स्थित आंगनवाड़ियों में अत्याचार होने,

(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की भिण्ड शहर के जिला चिकित्सालय में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को दवाईया न दी जाने,

(4) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य की दमोह जिले के माला जलाशय का रख-रखाव न होने से सिंचाई क्षमता कम होने,

(5) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल में अवैध उत्खनन प्रकरण को नस्तीबद्ध किये जाने,

(6) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की मुलताई में कृषकों को डेम न होने से सिंचाई एवं पेयजल संकट होने,

(7) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर में कचरे में आग लगने से बीमारी होने,

(8) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की प्रदेश में निजी व्यक्तियों की भूमि उपांतरण मनमाने ढंग से किये जाने,

(9) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की सतना जिले में खाद्य सामग्री समय पर वितरित न होने तथा

(10) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की मुरैना सिटी थाना प्रभारी द्वारा फैक्ट्री कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

(प्रदेश में कोयला एवं बिजली संकट पर सदन में चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण गर्भगृह में आये, नारेबाजी की गई तथा बहिर्गमन किया गया)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-2006 पटल पर रखा।

(2) श्री अनूप मिश्रा, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008,

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008,

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) अधिसूचना क्रमांक 2261-म.प्र.विनिआ 2008, दिनांक 22 अक्टूबर, 2008,

(ii) अधिसूचना क्रमांक 1580-म.प्र.विनिआ - 2008, दिनांक 18 जुलाई,2008,

(iii) अधिसूचना क्रमांक 1689-म.प्र.विनिआ - 2008, दिनांक 4 अगस्त, 2008,

(iv) अधिसूचना क्रमांक 1717-विनिआ - 2008, दिनांक 6 अगस्त, 2008,

(v) अधिसूचना क्रमांक 2323-म.प्र.विनिआ - 2008, दिनांक 31 अक्टूबर, 2008,

(vi) अधिसूचना क्रमांक 2478-म.प्र.विनिआ - 2008, दिनांक 11 नवम्बर, 2008,

(vii) अधिसूचना क्रमांक 2754-म.प्र.विनिआ - 2008, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008,

(viii) अधिसूचना क्रमांक 2778-म.प्र.विनिआ - 08, दिनांक 26 दिसम्बर, 2008,

(ix) अधिसूचना क्रमांक 75-म.प्र.विनिआ - 2009, दिनांक 7 जनवरी, 2009,

(x) अधिसूचना क्रमांक एफ-3-20-1998 - तेरह, दिनांक 15 जनवरी, 2009, तथा

(xi) अधिसूचना क्रमांक 128-म.प्र.विनिआ - 09, दिनांक 16 जनवरी, 2009

पटल पर रखे।

(3) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखा।

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीय तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को अनुमति देने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले में जिला बीमारी सहायता निधि की राशि का बजट आवंटन न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितता होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीदी पर बोनस राशि कम दिये जाने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री सज्जन सिंह वर्मा, उपनेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

6. वर्ष 2009-2010 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2009-2010 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2009-2010 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा के लिए दिनांक 18 मार्च, 2009 को 2 घंटे का समय नियत किया गया।

7. वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन किया।

8. वर्ष 2008-2009 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2008-2009 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा तृतीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 18 मार्च, 2009 को 2 घंटे का समय नियत किया गया।

(अपराह्न 12.42 से 2.35 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए.

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, श्री विश्वास सारंग, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण द्वारा उठाई गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री विश्वास सारंग
(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(4) श्री लक्ष्मण तिवारी
(5) श्री रामलखन सिंह
(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(7) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(8) श्री पारस दादा सकलेचा
(9) श्रीमती नीना वर्मा,
(10) श्री सुखदेव पांसे
(11) श्री मदन कुशवाह
(12) राव देशराज सिंह
(13) श्री परसराम मुद्गल
(14) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(15) कुंवर विक्रम सिंह
(16) श्री मनीराम धाकड़
(17) श्री शंकरलाल तिवारी
(18) श्री रत्नेश सॉलोमन

(19) श्री मोतीलाल तिवारी
(20) श्री यादवेन्द्र सिंह
(21) श्री राधेलाल बघेल
(22) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(23) डॉ. प्रभूराम चौधरी
(24) श्री राधेश्याम पाटीदार

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि प्रदेश में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 139 के अधीन चर्चा पर माननीय मंत्रियों के भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(25) राव उदय प्रताप सिंह
(26) श्री अभय कुमार मिश्रा
(27) श्री लखन घनघोरिया
(28) श्री रणजीत सिंह
(29) श्री भगवान सिंह
(30) श्री देवेन्द्र वर्मा
(31) श्री अजय यादव
(32) श्री श्रीकांत दुबे
(33) श्री राजकुमार उरमलिया
(34) श्री सुरेन्द्र पटवा
(35) श्री रामलाल मालवीय
(36) श्री बृजमोहन धूत

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री तथा श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अपराह्न 6.13 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2009 (फाल्गुन 27, 1930) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.